

815/18

आज महत्वाची राजस्व लीफ्ट बटाल कमिश्नरी
 में पेश हुई। प्रार्थी वकील उपरोक्त प्रार्थी को
 सुना गया तथा पत्रावली का अपलोड न किया गया
 पत्रावली में उपरोक्त राजस्व लिफ्ट वकील प्रार्थी
 संवत् २०५५-५६ वर्ष की गठी के खता संख्या ५२, ५४
 में संकित खराजी में प्रार्थी का क्रम सं. १ व ३
 ५३० १६
 हिस्सा दर्ज था जिसके हाल में प्रवन्ध विभाग
 संवत् २०६१ से बनी अभिलेखी २०६१-७२ के पत्र
 संख्या १५०, १५१ व १० में संकित खराजी में विधि-
 पत्र का दिया गया है जबकि भू-प्रवन्ध विभाग
 के दोहरना चाहिए था। अतः रत्ना केरी से
 के अध्यापक प्रार्थी का प्राप्त काबिलेगी का
 र्ग।

अतः आदेश है कि प्रार्थी को अर्जा संख्या ३६
 L.R. Act स्वीकार किया जाता है तथा सबिक लिफ्ट
 अभिलेखी संवत् २०५१-२०५२ व २०५७-६० वर्ष
 गठी के अनुसार हाल का खत सं. ६३, ६४, ६५
 ००१, ३, ३३, ०, ८१, ०, ०१, २, ७२ है। वर्ष की ठीक का
 ६९, ७०, ७१, ७५, ७६ है। का १
 ३/१६ हिस्सा खत सं. ७८, ७९, ८० है। का ५३०
 १, १०, ०, ०१, ३, १५
 हिस्सा वर्ष की ठीक में प्रार्थी के नाम दर्ज का
 दुखस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। निधि
 प्राप्ति दुखस्ती है। रुसी पदम थान प्रार्थी को
 प्रेषित हो। निधाय फौजदारी में प्रार्थी को
 से क्रम का रा. पत्र दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 राजी (अलवर) राज०